राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5036/2022

1. कृपेश पाठक **–अपीलार्थी**
2. प्रदीप कुमार
3. पुष्पेन्द्र कुमार धाकड़
4. कौशल कुमार बैरवा

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.09.2022
आदेश की दिनांक : 30.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र के अनुसार अपीलार्थी राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला कलक्टर कार्यालय करौली में कार्यरत है। जिला कलक्टर कार्यालय करौली के द्वारा राजस्व विभाग में कार्यरत कनिष्ठ सहायक की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति दर्शाते हुए अस्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर 15 दिवस की अवधि तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। नियत अवधि तक प्राप्त अभ्यावेदनों/आपत्तियों के परीक्षण उपरान्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए कनिष्ठ सहायक की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 29.05.2020 (अनुलग्नक–1) द्वारा जारी की गई। कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 11.06.2018 (अनुलग्नक–2) एवं 07.01.2020 (अनुलग्नक–3) द्वारा नियमित विभागीय पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में छूट प्रदान करने हेतु परिपत्र जारी किया गया था। उक्त निर्देशों की अनुपालना में जिला कलक्टर करौली द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 के क्रम में पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में शिथिलन का प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) विभाग को दिनांक 09.06.2020 (अनुलग्नक–4) को प्रेषित किया गया है और राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा जिला कलक्टर करौली के प्रस्ताव पर दिनांक 06.11.2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट प्रदान करने की अनुमति इस शर्त

पर प्रदान की गई कि अनुभव में शिथिलन संबंधित समस्त पदोन्नति कार्यवाही दिनांक 31.03.2021 तक पूर्ण की जावे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त अवधि के पश्चात शिथिलन प्राप्त प्रकरणों में पदोन्नति नियमानुसार नियमित नहीं मानी जायेगी। प्रत्यर्थी विभाग कलक्टर करौली द्वारा कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति संबंधित डीपीसी बैठक का आयोजन दिनांक 24.03.2021 (अनुलग्नक–6) को किया गया, जिसमें सरकार द्वारा प्राप्त शिथिलन के आधार पर कार्मिकों (अपीलार्थीगण) को पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई और विभागीय पदोन्नति कमेटी की अभिशंषा के आधार पर दिनांक 31.03.2021 (अनुलग्नक–7) को पदोन्नति आदेश जारी किये गए। जिला कलक्टर करौली ने संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के पत्र दिनांक 12.01.2022 (अनुलग्नक–8) द्वारा यह निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति में अनुभव शिथिलन प्रदान करने हेतु निर्धारित दिनांक 31.03.2021 तक वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर किसी भी कारण से पदोन्नति की कार्यवाही संपादित नहीं हो पाई। इस प्रकार उच्च पदों पर पदोन्नति से रिक्त होने वाले वरिष्ठ सहायक के 11 पद रिक्त नहीं हो पाये। लिहाजा जिला कलक्टर करौली ने राजस्व विभाग राजस्थान सरकार को उक्त पत्र लिखकर वरिष्ठ सहायक के पदों की डीपीसी वर्ष 2020–21 को यथावत् रखे जाने की अभिशंषा की गई। वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति कार्यवाही संपन्न होकर पदोन्नति आदेश दिनांक 07.04.2022 (अनुलग्नक–10) को जारी किये गए, जो राज्य सरकार द्वारा शिथिलन अवधि के पश्चात जारी किये गए है। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ, करौली द्वारा जिला कलक्टर करौली को दिनांक 17.05.2022 (अनुलग्नक–12) द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया स्पष्ट किया है कि डीपीसी वर्ष 2020–21 में वरिष्ठ सहायक के 50 प्रतिशत रिक्त होने की शर्त का भी पूर्ण पालन हो रहा है इसलिए वरिष्ठ सहायक की डीपीसी वर्ष 2020–21 को नियमित/यथावत रखने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें। संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) के पत्र दिनांक 05.05.2022 (अनुलग्नक–11) द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को डीपीसी अनुभव में छूट अवधि 31.03.2021 तक नहीं करने से रिव्यू डीपीसी का परामर्श दिया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रस्तुत प्रथम स्थगन प्रार्थना पत्र में उक्त पत्र दिनांक 05.05.2022 (अनुलग्नक–11) को नियम विरूद्ध होना बताते हुए इसकी क्रियान्विति रोकने एवं रिव्यू डीपीसी नहीं करने तथा पूर्व की डीपीसी को निरस्त/प्रत्याहरित नहीं करने एवं अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्य करते रहने का अनुतोष चाहा गया है। साथ ही जिला कलक्टर करौली के पत्र दिनांक 10.06.2022 (अनुलग्नक–13) प्रस्तुत किया। जिसमें भी अपीलार्थी की वरिष्ठ सहायक पद की वर्ष 2020–21 की

डीपीसी को नियमित रखे जाने का सरकार से अनुरोध किया है। द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 27.01.2023 जिसमें जिला कलक्टर करौली को वरिष्ठ सहायक के पद की वर्ष 2020–21 की डीपीसी अनुशंषाओं को रिव्यू करने की शासन की सहमति प्रदान की गई है (अनुलग्नक–16) की क्रियान्विति को स्थगित करने तथा रिव्यू डीपीसी नहीं करने एवं अपीलार्थी को प्रदत पदोन्नति को निरस्त/प्रत्याहरित नहीं करने हेतु निर्देशित करने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थीगण का कथन है कि अपीलार्थी पूर्व में जारी पदोन्नति आदेश से वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित एवं कार्यरत है। अतः अपील स्वीकार कर पूर्व में जारी पदोन्नति आदेश के अनुरूप वरिष्ठ सहायक के पद पर यथावत रखा जावे।

अपीलार्थी द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मान्य उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6826/2023 कृपेश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2023 की प्रति प्रस्तुत की है। माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकरण के समक्ष लम्बित अपील को शीघ्र निस्तारण हेतु आदेशित किया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण जिला कलक्टर करौली कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है और जिला कलक्टर करौली द्वारा दिनांक 01.04.2020 की स्थिति में कनिष्ठ सहायकों की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 29.05.2020 (अनुलग्नक–1) को जारी की गई। कार्मिक (क–2) विभाग ने दिनांक 11.06.2018 (अनुलग्नक–2) को और दिनांक 07.01.2020 (अनुलग्नक–3) को विभागीय पदोन्नति समिति हेतु निर्धारित अनुभव में शिथिलन प्रदान करने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गए है। उक्त निर्देशों की अनुपालना में जिला कलक्टर करौली द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 के क्रम में पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन का प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, राजस्व को दिनांक 09.06.2020 (अनुलग्नक–4) को प्रस्तुत किया गया है और राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा जिला कलक्टर करौली के प्रस्ताव पर दिनांक 06.11.2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की गई है। जारी पत्र नीचे उद्धत हैः–

''उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि आपके प्रस्तावानुसार वरिष्ठ सहायक पद की वर्ष 2020–21 की डीपीसी हेतु स्नातक योग्यताधारी को वांछित अनुभव 03 वर्ष में एक तिहाई अर्थात एक वर्ष एवं अस्नातक को वांछित अनुभव 05 वर्ष में एक तिहाई अर्थात 01 वर्ष के शिथिलन हेतु कार्मिक

विभाग की सहमति उनके आईडी क्रमांक 1121, दिनांक 04.11.2020 के द्वारा निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की गई हैः–

1. विभाग अनुभव की गणना के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के भाग–1 के बिंदु संख्या–15.1 एवं परिपत्र दिनांक 31.03.2015 की भी सुनिश्चितता कर लेवे।

2. यह शिथिलन दिनांक 31.03.2021 तक मान्य है। विभाग विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन की समस्त प्रक्रिया पूरी करते नति आदेश जारी करने एवं पदोन्नत व्यक्ति द्वारा कार्य ग्रहण करने तक की समस्त औपचारिकताएं कार्यवाही दिनांक 31.03.2021 तक पूरी करना सुनिश्चित करे अन्यथा शिथिलन प्राप्त प्रकरणों में की गई पदोन्नति नियमान्तर्गत नियमित नहीं मानी जावेगी।''

उक्तानुसार शिथिलन में समस्त कार्यवाही दिनांक 31.03.2021 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त अवधि के पश्चात शिथिलन प्राप्त पदोन्नति नियमानुसार नियमित नहीं मानी जायेगी। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ के पद पर आयोजित विभागीय पदोन्नति संबंधित बैठक का आयोजन दिनांक 24.03.2021 (अनुलग्नक–6) को किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्राप्त शिथिलन के आधार पर कार्मिकों (अपीलार्थीगण) को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु अभिशंषा की गई और विभागीय पदोन्नति कमेटी की अभिशंषा के आधार पर दिनांक 31.03.2021 (अनुलग्नक–7) को पदोन्नति आदेश जारी किये गए। पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में शिथिलन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति में रिक्त पदों की गणना में वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने से रिक्त होने वाले संभावित पदों को शामिल करने की गणना की गई। परंतु राज्य सरकार द्वारा शिथिलन हेतु निर्धारित अवधि 31.03.2021 तक वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर किसी कारण से पदोन्नति की कार्यवाही संपादित नहीं हो पाई। इस प्रकार उच्च पदों पर पदोन्नति से वरिष्ठ सहायक के रिक्त होने वाले 11 पद रिक्त नहीं हो पाये। लिहाजा जिला कलक्टर करौली ने राजस्व विभाग राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पदों पर वर्ष 2020–21 हेतु सम्पादित डीपीसी को यथावत् रखे जाने की अभिशंषा की गई (अनुलग्नक–8)। वस्तुतः वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति कार्यवाही संपन्न होकर पदोन्नति आदेश दिनांक 07.04.2022 (अनुलग्नक–10) को जारी किये गए, जो राज्य सरकार द्वारा शिथिलन अवधि के पश्चात जारी किये गए है। इस स्थिति में राजस्व (ग्रुप–।) विभाग द्वारा पत्र

दिनांक 05.05.2022 (अनुलग्नक–11) जिला कलक्टर करौली को लिखा गया है। जिसे प्रस्तुत अपील में चुनौती दी गई है। अपीलाधीन पत्र निम्नानुसार हैः–

''उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि वरिष्ठ सहायक पद की वर्ष 2020–21 की डीपीसी में वांछित अनुभव में शिथिलन सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद की 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियाँ होने की स्थिति में देय था चूंकि सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद की दिनांक 31.03.2021 से पूर्व पदोन्नति नहीं हो सकी थी। अतः वरिष्ठ सहायक के पद की रिक्तियों की संख्या अनुभव में छूट दिये जाने के मापदण्डानुसार नहीं थी। इस आधार पर डीपीसी नहीं की जानी चाहिए थी। अतः उक्त डीपीसी को रिव्यू किया जाना चाहिए। साथ ही, पूर्व में दी गई अनुभव में छूट दिनांक 31.03.2021 तक ही थी।''

उक्त पत्र में यह माना गया है कि अनुभव में छूट दिनांक 31.03.2021 तक ही दी गई थी। अतः उसके पश्चात अनुभव में छूट के आधार पर डीपीसी नहीं की जानी थी और राजस्व विभाग जिला कलक्टर करौली को रिव्यू डीपीसी किये जाने का परामर्श दिया गया। इसी क्रम में प्रत्यर्थी संख्या –4 को राज्य सरकार द्वारा कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2020–21 की डीपीसी की अनुशंषा को रिव्यू करने की सहमति प्रदान की गई है, जिसे भी चुनौती दी गई है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि राज्य सरकार ने पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव अवधि में शिथिलन प्रदान किये जाने हेतु जारी परिपत्र दिनांक 07.01.2020 (अनुलग्नक–3) पूर्णतः स्पष्ट है। जिसके अनुसार किसी भी पद/संवर्ग में नियमित डीपीसी आयोजित करने से पूर्व वांछित अनुभव में शिथिलन हेतु कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक है। कार्मिक विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 11.06.2018 द्वारा चालू डीपीसी वर्ष की 01 अप्रैल को 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां (जिसमें चालू डीपीसी वर्ष में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित नहीं हो) उपलब्ध होने की स्थिति में ही वांछित अनुभव में एक तिहाई अवधि का शिथिलन प्रदान किया जा रहा था। नवीन परिपत्र दिनांक 07.01.2020 के अनुसार पदोन्नति किये जाने के समय किसी संवर्ग में वर्षभर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों (सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/अन्य कारण) को शामिल करते हुये कुल रिक्तियों की गणना की जानी है। कार्यात्मक आवश्यकता के मध्यनजर किसी संवर्ग में पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलन दिये जाने के उद्देश्य से भी ऐसी रिक्तियों की संख्या को सम्मिलित किया जाना उचित है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुभव में शिथिलन हेतु उन्हीं प्रकरणों को प्रेषित किया जावे जिनमें चालू डीपीसी वर्ष में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों को सम्मिलित करते हुये 50 प्रतिशत या उससे अधिक

रिक्तिया उपलब्ध हों एवं अनुभव में एक तिहाई अवधि के शिथिलन उपरान्त निम्न पद पर न्यूनतम एक तिहाई या अधिक कार्मिक कार्यरत रहे। समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति अधिकारियों से अनुभव में शिथिलन के प्रस्ताव को डीपीसी से सम्बन्धित पत्रावली पर मय सम्बन्धित वर्ष की वरिष्ठता सूची सहित निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव मांगे गये हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर करौली के प्रस्ताव पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव शिथिलन इस आधार पर प्रदान किया गया है कि वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति से रिक्त होने वाले सम्भावित पदों को गणना में शामिल किया गया था इससे सरकार के परिपत्र में निर्धारित शर्तों की पूर्ति हो रही है। परन्तु प्रकरण में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति कार्यवाही किन्हीं कारणों से निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं हो पाई एवं वरिष्ठ सहायक के पद रिक्त नहीं हो पाए एवं वरिष्ठ सहायक के पद पर स्वीकृत पदों का 50 प्रतिशत या उससे अधिक रिक्तियां डीपीसी वर्ष में उपलब्ध नहीं हो पाई एवं इससे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अनुभव में शिथिलन प्रदान करने हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी दिनांक 05.05.2022 एवं पत्र दिनांक 27.01.2023 में प्रथमदृष्टया कोई अनियमितता नहीं है एवं इसमें कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मय दोनों स्थगन प्रार्थना–पत्र बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज किये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक 30.05.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)